बिहार सरकार
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

पत्रांक– वि० प्रा० (IV) यो0–14/2021– /पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
वीरचन्द पटेल पथ,
बिहार, पटना।

विषय :– **विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित बिहार कांउसिल ऑन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना के अधीन कार्यरत सोशल मीडिया एजेंसी M/S Maxposure limited के लिए 16 नवम्बर 2024 से 15 फरवरी 2026 तक का बकाया राशि का भुगतान हेतु कुल रू० 33,39,400.00 (तैतीस लाख उनचालीस हजार चार सौ रूपये) मात्र की वित्तीय वर्ष 2025–26 में बिहार कांउसिल ऑन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना को विमुक्त करने की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश :– **स्वीकृत।**

राज्य सरकार ने परियोजना निदेशक, बिहार कांउसिल ऑन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना का पत्रांक–1026, दिनांक–24.09.2025 के द्वारा विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित बिहार कांउसिल ऑन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना के अधीन कार्यरत सोशल मीडिया एजेंसी M/S Maxposure limited के लिए 16 नवम्बर 2024 से 15 फरवरी 2026 तक का बकाया राशि का भुगतान हेतु कुल रू० 33,39,400.00 (तैतीस लाख उनचालीस हजार चार सौ रूपये) मात्र की वित्तीय वर्ष 2025–26 में बिहार कांउसिल ऑन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2025–26 में मांग सं०–43 अन्तर्गत राज्य स्कीम बजट की मुख्यशीर्ष –2203– तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष –00–, लघुशीर्ष –004– अनुसंधान, उपशीर्ष –0101– बिहार कॉउन्सिल ऑन साईंस टेक्नोलॉजी, पटना, रिमोट सेसिंग केन्द्र/"इंदिरा गाँधी विज्ञान परिसर प्लेनेटोरियम, पटना" के अधीन 31 06– सहायक अनुदान–गैर–वेतन विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा, जिसका विपत्र कोड 43–2203000040101 है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप निदेशक (तकनीकी), विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना होगें।

4. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार (निर्माण भवन), विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना से की जायेगी तथा उसे CFMS प्रणाली से निदेशक –सह– सचिव (कार्यकारिणी) बिहार कॉउन्सिल ऑन साईंस टेक्नोलॉजी, पटना के नाम से पी०एल० खाता में जमा किया जायेगा, जिसका विवरणी निम्नवत् है :–

a) Deposit Account Number-PNBPLA009

b) Receipt HoA- 84480012000880001

c) Payment HoA- 84480012000880002

5. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888/वि०, दिनांक–03.12.2024 की कंडिका–2(क) के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है तथा आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०– वि० प्रा० (IV) यो0–14/2021 के पृ० 110/टि० पर प्राप्त है।

7. परियोजना निदेशक, बिहार काउन्सिल ऑन साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना द्वारा प्राप्त उक्त राशि का व्यय के उपरांत उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित समय सीमा के अंतर्गत उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(कुमार सिद्धार्थी)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– वि० प्रा० (IV) यो0–14/2021– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– वि० प्रा० (IV) यो0–14/2021– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी सचिवालय कोषागार (निर्माण भवन), विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– वि० प्रा० (IV) यो0–14/2021– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– परियोजना निदेशक, बिहार काउन्सिल ऑन साईन्स एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– वि० प्रा० (IV) यो0–14/2021– 6073 /पटना, दिनांक– 24.11.25

प्रतिलिपि– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/मोनिका ठाकुर, विशेष कार्य पदाधिकारी/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/लेखा शाखा (दो प्रतियों में)/आई० टी० मैनेजर (E-Mail एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु), विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/11/25
संयुक्त सचिव